

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक : प. 1(113)एमई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 10 July 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम-5 के अन्तर्गत गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर निश्चेतन विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत पदस्थापित रहेगे :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष
1	डॉ. राजन नंदा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
2	डॉ. चेतन शुक्ला	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
3	डॉ. पी.के.कालरा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
4	डॉ. एम.एल. टांक	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
5	डॉ. शोभा पुरोहित	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
6	डॉ. वीना माथुर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
7	डॉ. राजीव शर्मा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
8	डॉ. अंजुम सैयद	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
9	डॉ. नीलम डोगरा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
10	डॉ. प्रियशरण लाम्बा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
11	डॉ. रमा चटर्जी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
12	डॉ. अनिता पारीक	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
13	डॉ. आर.के. सोलंकी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
14	डॉ. अल्का पुरोहित	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
15	डॉ. सरिता जनवेजा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
16	डॉ. तरुण लाल	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
17	डॉ. वन्दना मंगल	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
18	डॉ. राकेश कर्नावट	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
19	डॉ. रजनी माथुर	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
20	डॉ. अर्चना त्रिपाठी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18
21	डॉ. वर्षा कोठारी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	01.4.2017	2017-18


आदेश से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।

क्रमशः- 2

3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज.जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली।


 (महेश व्यास)
 शासन सहायक सचिव